"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 447] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 7 अगस्त 2014—श्रावण 16, शक 1936

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2014

विपणन सहकारी समितियों के सुदृढ़ीकरण हेतु नियम

प्रस्तावना : —

इस योजना का मुख्य उद्देश्य विपणन सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर आर्थिक रूप से सुदृढ़ कराना है. प्रदेश की कुछ विपणन सहकारी समितियां लाभ अर्जित कर रही है तथा विपणन सहकारी समितियों के पास पर्याप्त भूमि उपलब्ध है किन्तु पर्याप्त कार्यशील पूंजी उपलब्ध न होने के कारण नया व्यवसाय प्रारंभ करने में सक्षम नहीं है एवं भूमि का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है. ऐसी समितियों को नया कार्य/व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए राज्य शासन द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.

01. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार :—

(एक) यह नियम **"विपणन सहकारी समितियों के सुदृढ़ीकरण हेतु नियम 2014"** कहलाएगा.

(दो) यह नियम 1 अप्रैल, 2014 से प्रभावशील होगा.

(तीन) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा तक होगा.

02. परिभाषाएं :—

(एक) **संस्था**—"संस्था" का अभिप्राय प्राथमिक विपणन सहकारी समिति से है.

(दो) **पंजीयक** —"पंजीयक" का अभिप्राय सहकारी संस्थाओं के पंजीयक से है और उसमें सम्मिलित है सहकारी संस्थाओं के अपर पंजीयक, संयुक्त पंजीयक, उप पंजीयक, सहायक पंजीयक अथवा ऐसा कोई अधिकारी संस्थाओं के अपर पंजीयक, संयुक्त पंजीयक, उप पंजीयक, सहायक पंजीयक अथवा ऐसा कोई अधिकारी जो संस्था के लिए रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम हो.

03. पात्रता :—

(एक) इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता हेतु, ऐसी संस्था जो लाभ अर्जित कर रही है तथा जिस पर शासकीय राशि (ऋण/धनवेष्ठन) कालातीत नहीं है, पात्र होगी.

(दो) जो संस्था संचित हानि में है, परंतु लगातार तीन वर्षों तक लाभ अर्जित कर रही है. नए व्यवसाय प्रारंभ कर लाभ अर्जित कर अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर सकती है तथा संस्था अपनी कालातीत शासकीय राशि वापस कर सकती है, ऐसी संस्था के प्रस्ताव का पंजीयक द्वारा परीक्षण कर अनुशंसा सहित प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित किया जाएगा.

04. प्रभावशील ब्याज दरें :—

इस योजनान्तर्गत दिये जाने वाले ऋण हेतु संस्था पर प्रभारित ब्याज दर 10% होगी.

05. राज्य शासन द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता :—

(एक) संस्था को राज्य शासन द्वारा आर्थिक सहायता ऋण, धनवेष्ठन (अंशपूंजी) एवं अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी.

(दो) संस्था द्वारा चयन किए गए व्यवसाय/कार्य की कुल लागत का 90 प्रतिशत राशि आर्थिक सहायता के रूप में राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी. शेष 10 प्रतिशत राशि संस्था द्वारा वहन किया जाएगा.

(तीन) संस्था को राज्य शासन द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता का स्वरूप निम्नानुसार होगा :—

ऋण	अंशपूंजी	अनुदान	योग
50 %	40 %	10 %	100 %

(चार) कंडिका (तीन) के अतिरिक्त संस्था को उसकी अंशपूंजी में धनवेष्ठन कर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी.

(पांच) पंजीयक द्वारा संस्था के चयनित व्यवसाय/कार्य के लिए एक बार ही आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जावेगी परंतु उस कार्य के विस्तार की संभावना होने पर पंजीयक की अनुशंसा पर पुनः आर्थिक सहायता दी जा सकेगी.

(छः) संस्था को दिए जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए आवश्यक बजट प्रावधान सहकारिता विभाग द्वारा किया जावेगा.

(सात) संस्था को स्वीकृत ऋण की वापसी सामान्यतः 01 वर्ष पश्चात् 8 अथवा 10 सामान किश्तों में वापस की जानी होगी. स्वीकृत अंशपूंजी की राशि सामान्यतः 05 वर्ष पश्चात् 10 सामान किश्तों में वापसी होगी. संस्था को उपलब्ध करायी जाने वाली आर्थिक सहायता (ऋण एवं अंशपूंजी) की राशि की वापसी की शर्तों का उल्लेख प्रस्ताव में किया जावेगा.

06. संस्था द्वारा सुदृढ़ीकरण हेतु किए जाने वाले व्यवसाय/कार्य:—

(एक) विपणन सहकारी समितियों के पास स्वयं की पर्याप्त भूमि उपलब्ध है जिस पर निम्न व्यवसाय किए जा सकते हैं जैसे— सुपर बाजार की स्थापना, कृषि/वनोपज आधारित प्रोसेसिंग यूनिट जैसे — दाल मिल, मूंगफली तेल पेराई ईकाई आदि की स्थापना, धर्मकांटा की स्थापना, स्वयं की राईस मिलों को आधुनिकीकरण/मिनी राईस मिल की स्थापना, स्थानीय उपलब्ध कृषि/अकृषि वस्तुओं का व्यवसाय, भवन निर्माण सामाग्री विक्रय, गोदामों का निर्माण/मरम्मत, खाद एवं खाद्यान्न व्यवसाय आदि कार्य.

(दो) संस्था द्वारा प्रस्तावित व्यवसाय/कार्य की परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर जिले के उप/सहायक पंजीयक कार्यालय में प्रस्तुत की जावेगी जिसे संबंधित अधिकारी द्वारा परीक्षण उपरान्त अनुशंसा सहित पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जावेगा. पंजीयक सहकारी संस्थाएं द्वारा आर्थिक सहायता की स्वीकृति उपरांत राशि विमुक्त करने प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित किया जावेगा.

(तीन) संस्था को उपलब्ध कराई गई आर्थिक सहायता का संबंधित जिले के उप/ सहायक पंजीयक द्वारा सतत् पर्यवेक्षण किया जावेगा. किए गए पर्यवेक्षण का प्रतिवेदन जिला अधिकारी द्वारा पंजीयक सहकारी संस्थाएं को प्रेषित किया जावेगा.

(चार) नियमों का उल्लघंन किये जाने पर दिए जाने वाली आर्थिक सहायता रोकने/स्थगित करने का अधिकार पंजीयक/राज्य शासन को होगा.

07. उपयोगिता प्रमाण पत्र :—

दी गई आर्थिक सहायता का उपयोगिता प्रमाण पत्र जिले के संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक द्वारा सत्यापित कराकर पंजीयक सहकारी संस्थाएं को प्रस्तुत किया जावेगा. पंजीयक सहकारी संस्थाएं द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य शासन को उपलब्ध कराया जाएगा.

08. विविध :—

(एक) राज्य शासन/पंजीयक को इस नियम के सुचारू रूप से संचालन एवं क्रियान्वयन के लिए आवश्यक प्रशासनिक मार्गदर्शन, निर्देश एवं स्पष्टीकरण जारी करने का अधिकार होगा.

(दो) इस नियम में संशोधन करने का अधिकार राज्य शासन को होगा .

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.